न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठसीन अधिकारी :– मंयक मनीष आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 334/2019

वादीगण :–

1. देवराज चौपड़ा पुत्र श्री मुलतानमल जी चौपड़ा जाति ओसवाल, निवासी – मकान सं. 09 काजरी के सामने लाईट इण्ड एरिया जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. माधवकृष्ण डागा पुत्र स्व. श्री हरनाराण जी डागा जाति माहेश्वरी उम्र 54 वर्ष, निवासी – ई/57/1 शास्त्रीनगर, हाल निवासी – 20 सफदरगंज न्यू दिल्ली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा,
व स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय :–

दिनांक 30/11/20

उपस्थिति :–वादी अधिवक्ता श्री जसवंत सुथार उपस्थित
प्रतिवादी अधिवक्ता जगत टांटिया उपस्थित

वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट का प्रस्तुत किया उक्त वाद में प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। उपर्युक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निवेदन है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अनुसार यदि कोई दावा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनो के आधार पर ही विधि के द्वारा स्पष्ट रूप से बाधित हो तो वह दावा तुरन्त ही प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारित कर दिया जाना चाहिए। धारा 79 सी.पी.सी के अनुसार राजस्थान राज्य को पक्षकार मुकदमा बनाए बगैर राजस्थान राज्य के किसी अधीनस्थ विभाग अथवा अधिकारी अथवा कर्मचारी को पक्षकार मुकदमा नहीं

Scanned by CamScanner

बनाया जा सकता। मौजूदा प्रकरण में भी वादी ने राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर Sue नहीं कर राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर को पक्षकार मुकदमा बनाया है, जिनका अलग से अथवा स्वतंत्र रूप से कोई लिगल स्टेटस नहीं है और वादी का यह दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत काबिल खारिज है।वादी के अर्जीदावे काउपरोक्त वर्णनानुसार ध्यानपूर्वक एवं Meaningful अध्ययन करने स यह बखूबी स्पश्ट है कि वादी ने अपनी भूमि खसरा संख्या 227 की रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर के पश्चिम में 15 फुट चौड़ा रास्ता सुविधा के लिए छोड़ा गया होने और उस रास्ते का उत्तरदाता/ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बंद करना व रास्त की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहने का अभिकथन करते हुए घोषणात्मक निषेधाज्ञा चाही गई है। विधिके सुस्पष्ट सिद्धान्तों व धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार जहां कहीं भी किसी भी पक्षकारके पास Equally efficious relief उपलब्ध हो, वहां न्यायलय को मात्र स्थाईया अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। मौजूदा प्रकरण में वादी ने अपनी भूमि खसरा संख्या 227 की 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर के विक्रय पत्र में दर्शित रास्ते की भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं करने, रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं करने, उत्तरदाता/प्रतिवादी द्वारा रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने से रोके जाने व किए गए अतिक्रमण को घोषणातमक निषेधाज्ञा से हटाए जाने के संबंध में स्थाई व घोषणात्मक निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। यदि वादी की भूमि के पश्चिम में 15 फुट चौड़ा रास्ता आया हुआ है और उस रास्ते को रोका गया है, तो वादी के पास उस रास्ते में किए गए अवरोध व अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत आवेदन करके रास्ते में किए गए अवरोध व अतिक्रमण को हटाने का वैकल्पिक उपयुक्त उपचार उपलब्ध है, परन्तु वादी ने अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में स्थाई एवं घोषणत्मक निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कियाहै, जो धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के आधार पर ही काबिल खारिज है। खातेदारी अधिकारों से संबंधित एक भी आवश्यक तथ्य वादी ने अभिकथित ही नहीं किया है। वादी ने अपने दावे में सम्पूर्ण साक्ष्य को अभिकथित किया है, जबकि आदेश 6 नियम 2 सी.पी.सी के अनुसार Every pleading shall contain and contain only, a settlement in a concise form of material facts ..... but not he evidence by which they are to be proved. इस तरह वादी ने विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के विपरीत साक्ष्य को अभिकथित करते हुए, आवश्यक तथ्य अभिकथित करते हुए दावा प्रस्तुत किया है, जो इस आधार पर काबिल खारिज है। वादी ने अपने दावे की मालियत ही कायम नहीं की है, जबकि आदेश 7 नियम 1 सी.पी.सी व धारा 38 राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट वेलयूएशन एक्ट के अनुसार बिना दावे की मालियत कायम किये, दावा प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। बिनायदावा व वादकारण का

Scanned by CamScanner

उल्लेख किए बिना ही प्रस्तुत किया गया दावा विधि के प्रावधानों से बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 का वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की बहस में भाग लिया। बहस के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी ने वादपत्र के साथ प्रस्तुत पंजीबद्ध दस्तावेज में रास्ते का उल्लेख होना लिखा है। लेकिन उक्त विलेख में रास्ता होने का कही उल्लेख नहीं है अपितु पंजीयन विलेख में अंकित पाड़ौस दक्षिण में 200 फुट चौड़ा बाई पास रास्ता है। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसमें वादी रास्ते का खातेदार दर्ज हो।रास्ते संबंधी विवाद माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जैसा कि विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तों व धारा 41 (एच) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार जहां कहीं भी किसी भी पक्षकार के पास Equally efficious relief उपलब्ध हो, वहां न्यायालय को मात्र स्थाई या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। रास्ते बाबत धारा 251 आर.टी. एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार उक्त वाद पूर्णरूप से विधि द्वारा बाधित होने से खारिज योग्य है।

वादी अधिवक्ता ने बहस के दोरान निवेदन किया कि उक्त वाद राजस्व ग्राम पाल में स्थित है। वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। खातेदारी की भूमि के पास स्थित रास्ते पर हुये अतिक्रमण को वादी हटाने का अधिकार रखता है। वादी का वाद कानूनी रूप से किसी प्रकार से बाधित नहीं है। प्रतिवादी का प्रार्थनपत्र खारिज किया जावें।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकर्ड, उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन कर विचार किया गया। वादी ने उक्त वाद धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मुख्य प्रार्थना ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 227 की रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जमीन के विक्रय पत्र में दर्शित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न करे एव ना ही रास्ते पर किसी प्रकार का अवरोध करें। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2061– 2064 में खसरा नं. 227 में अन्य खातेदारों के साथ वादी भी खातेदार काश्तकार दर्ज है। लेकिन उक्त खसरा में कहीं पर रास्ता अंकित नहीं है। वाद के साथ प्रस्तुत लिखित बेचान में भी कहीं रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त भूमि के पाड़ौस दक्षिण में 200 फुट चौड़ा रास्ता होना लिखा है। उक्त रास्ते पर वादी का कोई अधिकार नहीं है। यह विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि जिस सम्पति के लिए वाद प्रस्तुत किया जाता है उस सम्पति पर वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो। वादी की ओर से ऐसा

Scanned by CamScanner

कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसमें वादी रास्ते का खातेदार दर्ज हो।रास्ते संबंधी विवाद माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जैसा कि विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तों व धारा 41 (एच) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार जहां कहीं भी किसी भी पक्षकार के पास Equally efficious relief उपलब्ध हो, वहां न्यायालय को मात्र स्थाई या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। रास्ते बाबत धारा 251 आर.टी. एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार उक्त वाद पूर्णरूप से विधि द्वारा बाधित होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(मंयक मनीष)आई.ए.एस
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30/1/20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मंयक मनीष) आई.ए.एस
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर व इजलास मंयक मनीष (आई.ए.एस.)

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. देवराज चौपड़ा पुत्र श्री मुलतानमल जी चौपड़ा जाति ओसवाल, निवासी – मकान सं. 09 काजरी के सामने लाईट इण्ड एरिया जोधपुर।		1. माधवकृष्ण डागा पुत्र स्व. श्री हरनाराण जी डागा जाति माहेश्वरी उम्र 54 वर्ष, निवासी – ई/57/1 शास्त्रीनगर, हाल निवासी – 20 सफदरगंज न्यू दिल्ली। 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मुकदमा नम्बर 334/2019 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण के अधिवक्ता श्री जसवंत सुथार, एवं जगत टांटिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :– प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

लीज ......×....... मुबलिक ....×...... बाबत ....×......खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह .... ×....... की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......×...को अदा करें।

अन्तिम डिक्री मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 30/1/20 की जारी की गई।

(मंयक मनीष)
आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अहवान् बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक		

(मंयक मनीष)
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2020.01.31 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: